प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 144 / 2023

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र भूराराम जाति सुथार निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती

अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रार्थी**

राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 17/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 70 / 83 कुल 6.7050 हैक्ट भूमि में क्रम स0 3 पर 253 / 1490 हिस्सा व क्रम स0 4 पर 10573 / 67050 हिस्सा भूमि की संयुक्त रूप से खातेदारी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी का नाम सहवन से उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में क्रम स0 3 पर दयाराम उर्फ फुसाराम पुत्र भूराराम एवं क्रम स0 4 फुसाराम पुत्र भूराराम नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम दयाराम पुत्र भूराराम है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, एवं सरंपच ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम दयाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 70 / 83 कुल 6.7050 हैक्ट भूमि में क्रम स0 3 पर 253 / 1490 हिस्सा व क्रम स0 4 पर 10573 / 67050 हिस्सा भूमि की संयुक्त रूप से खातेदारी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। क्रम स0 3 पर दयाराम उर्फ फुसाराम पुत्र भूराराम एवं क्रम स0 4 फुसाराम पुत्र भूराराम नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम दयाराम पुत्र भूराराम है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का ढीलकी जाटान, भू0अ0नि0 गोगामेड़ी एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र भागीरथ दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत ढीलकी जाटान ने तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत ढीलकी के आधार पर प्रार्थी का नाम दयाराम पुत्र भूराराम होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच की तस्दीक तथा नायब तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 70 / 83 कुल 6.7050 हैक्ट भूमि में क्रम स0 3 पर 253 / 1490 हिस्सा व क्रम स0 4 पर 10573 / 67050 हिस्सा भूमि की संयुक्त रूप से खातेदारी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में क्रम स0 3 पर दयाराम उर्फ फुसाराम पुत्र भूराराम व क्रम स0 4 पर दर्ज फुसाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर दयाराम पुत्र भूराराम का संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर ... की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : गोगामेड़ी